राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 23/10/19

-::अधिसूचना::-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 10 की उपधारा (1) 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.स	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या-9, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर
2.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या-10, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

23.10.19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/05/2017(S)/..1546 Dated: 31../10/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judge/s,
3. Concerned court/s,
4. concerned Chief Judicial/Metro. Magistrate/s,
5. A.O.J. Confidential/ RJS(Estt)/ SC (Estt)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ Computer cell with a direction to upload the same on High Court website).

31.10.19

REGISTRAR (RULES)